न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>मुन्तकिली प्रकरण संख्या 58/2022 (GCMS : 2022/86)</u>

1. **सतनाम सिंह** पुत्र भगवंत सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 42 सी ब्लॅक, श्रीगंगानगर

--- **प्रतिवादी प्रार्थी**

बनाम

1. **बलवीर सिह** पुत्र भगवंत सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी मकान नं. 6 एफ बैंक कॉलोनी, , श्रीगंगानगर वर्तमान दुकान नं. 11, नई सब्जी मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर

--- **वादी अप्रार्थी**

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

--- **प्रतिवादी अप्रार्थी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.06.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोड़ा उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवानी बलवीर सिंह बनाम सतनाम सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी बलवीर सिह बनाम सतनाम सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:57:49 IST
Reason: SelfAttested